न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू

पीठासीन अधिकारी अर्पिता सोनी (आरएएस)

दावा संख्या 80/2017

उनवान

1.रामेश्वर पुत्र श्रीनारायण जाति ब्रहमण निवासी बोरखण्डीकलॉ तह0 पीपलू जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

1.देवकरण पुत्र प्रहलाद जाति ब्रहमण निवासी बोरखण्डीकलॉ तह0 पीपलू जिला टोंक
2.सुरेश पुत्र प्रहलाद जाति ब्रहमण निवासी बोरखण्डीकलॉ तह0 पीपलू जिला टोंक
3.बालूराम पुत्र बजरंगलाल जाति ब्रहमण निवासी बोरखण्डीकलॉ तह0 पीपलू
4.सीताराम पुत्र बजरंगलाल जाति ब्रहमण निवासी बोरखण्डीकलॉ तह0 पीपलू
5. बैक ऑफ बडोदा शाखा झिराना तह0पीपलू
6. तहसीलदार पीपलू

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी :— श्री नन्दकिशोर शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी :— श्री विवेक चौधरी

निर्णय दिनांक : 28.3.2018

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज एवं तकासमा
अनतर्गत धारा 88,92,व 153 रा0टि0एक्ट 1955

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजीयात जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 में खाता संख्या 163 में खसरा 243, 250, 291, 552, 553, 670, 732, 776, 777, 798, 803,1031,1032,1035,1039,1070,1072,1207,2224,, कुल किता 19 कुल रकबा 48 बीधा 11 बिस्वा वाके ग्राम बोरखण्डीकलॉ एवं जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 164 में ख0न0 2102 रकबा 4 बीधा वाके ग्राम बोरखण्डीकलॉ व जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 264 में ख0न0 707,1040 कुल किता 2 कुल रकबा 04 बिस्वा वाके ग्राम बोरखण्डीकलॉ व जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 265 में ख0न0 247/1, 292/1, 677/1, 681/1, 704,705,921/1, 1015, 1033, 1041, 1085/1, 2244/1 कुल किता 12 कुल रकबा 25 बीधा 19 बिस्वा वाके ग्राम बोरखण्डीकलॉ तथा जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 556 में ख0न0 247/2,292/2, 677/2,681/2,706,921/2,1034,1069,1085/2,2244/2 कुल किता 10 कुल रकबा 25 बीधा 18 बिस्वा वाके ग्राम बोरखण्डीकलॉ तह0 पीपलू में स्थित है। जो वादी व प्रतिवादीगण के पैृथक भूमि है। जिस पर वर्षो से मौके पर बटवारे अनुसार काबिज होकर पक्षकार काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा पक्षकारों की सहमति के बिना ही बटवारा कर दिया तथा जो बटवारा किया गया था वह कब्जे के अनुरूप नही किया गया था जो गलत है जिसको निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। उक्त भूमि में पक्षकारों ने पूर्व में ही बटवारा कर लिया था लेकिन जिस भूमि पर वादी काबिज है उस भूमि में कुछ भूमि प्रतिवादी के नाम लगा दी सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना कब्जे की जॉच किये बटवारा कर दिया जो गलत है तथा बन्दोबस्त विभाग को ऐसा कोई अधिकार नही था इस कारण बन्दोबस्त विभाग द्वारा व बाद में किये गये बटवारे को निरस्त किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के कब्जे अनुसार तकासमा किये जाने का आदेश प्रदान करे । उक्त बिनाय वाद इसलिए उत्पन्न हुआ है कि भूमि मेरे कब्जे की को मेरे नाम लगवाने हेतु कहा गया तब प्रतिवादीगण ने मना कर दिया इस कारण वादी अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। अतः दावा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बाबात तकास्ता फरमाया जाकर वाद पत्र के

अर्पिता

चरण न0 1 में वर्णित भूमि का बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गये बटवारे को निरस्त किया जाकर पक्षकारान के कब्जे अनुसार विधिवत विभाजन किया जाकर पृथक –पथृक खाता कायम करवाया जावें । तथा वादी के कब्जे की भूमि का नक्शा शीट में तरमीम करवायी जावें । दावा डिकी किया जावें ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई प्रतिवादीगण की और से प्रतिवादीगण एवं अधिवक्ता श्री विवेक चौधरी ने उपस्थित होकर मय वकालत नामा ,, इकबाली जवाब दावा वं राजीनामा पेश कर निवेदन किया की दावा वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष के अनुरूप पूर्व तकासमा को निरस्त किया जाकर पुनः कब्जा अनुरूप तकासमा किया जावे

हम सभी पक्षकारान सहमति प्रदान करते है। दावा डिकी जावे ।

हमने बहस अभिभाषकगण सुनी। प्रस्तुत पत्रावली में प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत राजीनामा, शपथ पत्र, पहचान पत्र, एवं वादी के शपथ पत्र के आधार पर जो की वादी एवं प्रतिवादीगण सजरे के अनुसार एक ही परिवार के सदस्य होना बताया है। तथा पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादीगण ने दावा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत तकास्ता फरमाया जाकर वाद पत्र के चरण न0 1 में वर्णित भूमि का बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गये बटवारे को निरस्त किया जाकर पक्षकारान के कब्जे अनुसार विधिवत विभाजन किया जाकर पृथक –पथृक खाता कायम करवाया जाने हेतु प्रतिवादीगण स्वंय ने राजीनामा पेश किया है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण में लोक अदालत की भावना एवं न्यायहित को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरण में कानूनन नजीरे आर.आर.टी 2013 (2) पेज न0 1128 जो की वाद पर चस्पा होती है। अतः दावा इस प्रकार प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि । जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 में खाता संख्या 163 मे खसरा 243, 250, 291, 552, 553, 670, 732, 776, 777, 798, 803, 1031, 1032, 1035, 1039, 1070, 1072, 1207,2224,, कुल किता 19 कुल रकबा 48 बीधा 11 बिस्वा वाके ग्राम बोरखण्डीकलॉ एवं जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 164 में ख0न0 2102 रकबा 4 बीधा वाके ग्राम बोरखण्डीकलॉ व जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 264 में ख0न0 707,1040 कुल किता 2 कुल रकबा 04 बिस्वा वाके ग्राम बोरखण्डीकलॉ व जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 265 में ख0न0 247/1, 292/1, 677/1, 681/1, 704,705,921/1, 1015, 1033, 1041, 1085/1, 2244/1 कुल किता 12 कुल रकबा 25 बीधा 19 बिस्वा वाके ग्राम बोरखण्डीकलॉ तथा जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 556 में ख0न0 247/2,292/2, 677/2, 681/2, 706, 921/2, 1034, 1069, 1085/2, 2244/2 कुल किता 10 कुल रकबा 25 बीधा 18 बिस्वा वाके ग्राम बोरखण्डीकलॉ तह0 पीपलू में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक राजीनामा अनुसार वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के मध्य वर्णित भूमि का बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गये बटवारे को निरस्त किया जाता है । तथा पक्षकारान के कब्जे अनुसार विधिवत विभाजन करने व पृथक –पथृक खाता कायम करने हेतु तहसीलदार पीपलू को आदेश दिया दिया जाता है कि उक्तानुसार पक्षकारान के मध्य नवीन सिरे से तकास्मा कर तकास्मा रिपोर्ट मय नक्शा शीट के दो–दो प्रतियो में दिनांक 12.4.18 से पूर्व भिजवाये । राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा ।

निर्णय आज दिनांक 28.3.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर इजलास सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी पीपलू